The Uttar Pradesh Rashtra Virodhi Tatwa Nivaran Adhiniyam, 1970

Act 5 of 1971

Keyword(s):
National Honour, Weapons, District Magistrate, Punishment

Amendment appended: 24 of 1982

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

135401

L.A. 15/71.5
Cop.2

विधान [illegible]
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1971)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 10 जनवरी, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 12 जनवरी, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ।

ऐसे कतिपय कार्यकलापों के जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हों और ऐसे कार्यों के जिनसे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो, निवारण की और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

कतिपय व्यक्तियों को निरुद्ध करने के लिये आदेश देने का अधिकार

2—(1) यदि राज्य सरकार का किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाग कि उसे किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने से, जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो या जिससे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो, रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह ऐसा आदेश (जिसे एतद्पश्चात निरोधादेश कहा गया है) दे सकती है जिसमें यह निदेश हो कि वह व्यक्ति निरुद्ध किया जाय।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 28 दिसम्बर, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

Price 05 Paise.

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये—

(1) पद "किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो" का तात्पर्य निम्नलिखित से है:

(क) कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी भी आधार पर, चाहे वे जो भी हों, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अभ्यर्पण कराने या संघ से भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संबंध विच्छेद कराने का अभिप्राय हो, अथवा जिससे ऐसा कराने के किसी दावे का समर्थन होता हो, या जिससे भारत की प्रभुता और उसकी राज्य क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार किया जाय, या उस पर आपत्ति की जाय, या उसे विच्छिन्न किया जाय अथवा विच्छिन्न करने का अभिप्राय हो, या

(ख) कोई ऐसा कार्य करना जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को घातक हथियारों के प्रयोग से उलटना या समाप्त करना हो, या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने के लिए व्यक्तियों को संगठित करना या उन्हें उकसाना अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांछनीयता का समर्थन करना।

(2) पद "किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने जिससे राष्ट्रीय सम्मान की वस्तुओं का अपमान होता हो" का तात्पर्य निम्नलिखित से है:

(क) भारत के मानचित्र, या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, या महात्मा गांधी की किसी प्रतिमा अथवा अन्य सचित्र प्रतिरूप को विकृत करना, क्षतिग्रस्त करना, जलाना, अपवित्र करना, नष्ट करना या किसी अन्य प्रकार से उसे अपमानित करना, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने के लिये व्यक्तियों को संगठित करना या उन्हें उकसाना, अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांछनीयता का समर्थन करना।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "घातक हथियारों" का तात्पर्य आग्नेयास्त्रों, विस्फोटक या संक्षारक पदार्थ, तलवारों, ढालों, कटारों, तथा चाकुओं से है।

(3) निम्नलिखित कोई भी अधिकारी अर्थात्.

(क) जिला मैजिस्ट्रेट,

(ख) अपर जिला मैजिस्ट्रेट, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से अधिकृत हो,

यदि उपधारा (1) में की गई व्यवस्था के अनुसार उसका समाधान हो जाय, उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(4) यदि उपधारा (3) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन कोई आदेश दिया जाय तो वह इस तथ्य की सूचना तुरन्त राज्य सरकार को उन कारणों सहित भेजेगा जिनके आधार पर उक्त आदेश दिया गया हो और साथ ही ऐसे अन्य ब्योरे भी देगा जो उसकी राय में विषय से संबंधित हों, और इस प्रकार कोई भी आदेश, उस व्यक्ति, जिसके संबंध में आदेश दिया गया हो, के निरुद्ध किये जाने के दिनांक के पश्चात् बारह दिन से अधिक दिन तक प्रवृत्त न रहेगा जब तक कि इस बीच राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाय।

निरोधादेश का निष्पादन 1898 की अधिनियम संख्या 5

3—निरोधादेश का निष्पादन उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन के लिये व्यवस्थित रीति में किया जा सकता है।

निरुद्ध स्थान तथा उसकी शर्तों को विनियमित करने का अधिकार

4—प्रत्येक व्यक्ति, जिसके संबंध में कोई निरोधादेश दिया गया हो:—

(क) ऐसे स्थान में तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जिनके अन्तर्गत अनुरक्षण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग करने के लिये दंड संबंधी ऐसी शर्तें भी हैं, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, निरुद्ध किया जा सकेगा; तथा

(ख) राज्य सरकार के आदेश से राज्य के भीतर किसी एक निरोध के स्थान से दूसरे निरोध के स्थान को हटाया जा सकेगा।

कतिपय कारणों से निरोधादेश न तो अवैध होगा और न ही परिवर्तन शून्य होगा

5—कोई भी निरोधादेश केवल इस कारण कि—

(क) तद्धीन निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति, यद्यपि उत्तर प्रदेश के भीतर है आदेश देने वाले अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध करने का स्थान, यद्यपि उत्तर प्रदेश के भीतर है, आदेश देने वाले अधिकारी की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, न तो अवैध होगा और न परिवर्तन शून्य होगा।

फरार व्यक्तियों के संबंध में अधिकार

6—(1) यदि, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा धारा 2 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति, जिसके संबंध में निरोधादेश दिया गया है, फरार हो गया है अथवा अपने को इस प्रकार छिपाये हुए है कि उक्त आदेश निष्पादित न किया जा सके, तो उक्त सरकार या अधिकारी—

(क) किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को जिसका उस स्थान पर क्षेत्राधिकार हो जहां उक्त व्यक्ति सामान्यतया निवास करता हो, ऐसे तथ्य की लिखित सूचना देगा, और तदुपरान्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 87, 88 तथा 89 के उपबन्ध उक्त व्यक्ति और उसकी संपत्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह आदेश जिसमें उसे निरुद्ध करने का निदेश दिया गया है, मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया कोई वारंट हो,

1898 का अधिनियम संख्या 5

(ख) गजट में आदेश को अधिसूचित करके उक्त व्यक्ति को ऐसे अधिकारी के समक्ष, ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में निर्दिष्ट हों, प्रस्तुत होने का निदेश द सकता है, और यदि उक्त व्यक्ति ऐसे निदेश का पालन न करे तो उसे, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उक्त निदेश का पालन करना उसके लिये संभव न था और यह कि उसने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश में उल्लिखित अधिकारी को उस कारण से, जिससे आदेश का अनुपालन करना असंभव हो गया था, और आवासीय गतिविधियों से सूचित कर दिया था, ऐसी अवधि के लिये, जो एक वर्ष तक हो सकती है, कारावास का दंड अथवा अर्थ-दंड या दोनों दंड दिये जायेंगे ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

निरोधादेश के कारणों को आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को बतलाया जाना

7—(1) यदि कोई व्यक्ति निरोधादेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाय तो ऐसा आदेश देने वाला प्राधिकारी, यथाशीघ्र, किन्तु निरुद्ध किये जाने के दिनांक से अधिक से अधिक पांच दिन के भीतर उसे ऐसा आदेश दिये जाने के कारणों के संबंध में संसूचित करेगा, और उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का शीघ्रतम अवसर देगा ।

(2) उपधारा (1) की किसी बात से यह अपेक्षित नहीं होगा कि प्राधिकारी उन तथ्यों को प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोक हित के विरुद्ध समझे ।

(3) यदि अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है, तो वह संबद्ध व्यक्ति का निरोध ऐसी अवधि के लिये जारी रख सकती है जिसे वह उचित समझे, और यदि उसका ऐसा समाधान न हो तो वह निरोधादेश को विखंडित कर देगी तथा संबद्ध व्यक्ति को तत्काल मुक्त करायेगी ।

परामर्शदात्री परिषद् का संघटन

8—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, जब भी आवश्यक हो, एक या एकाधिक परामर्शदात्री परिषद् संघटित कर सकती है ।

(2) प्रत्येक ऐसी परिषद् में तीन व्यक्ति होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों में से नियुक्त किये जायेंगे ।

(3) राज्य सरकार, परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों में से किसी सदस्य को, जो उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश हो, उक्त परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।

परामर्शदात्री परिषद् को अभिदेश

9—ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई निरोधादेश दिया गया हो, राज्य सरकार, आदेश के अधीन निरुद्ध किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर धारा 8 के अधीन अपने द्वारा संघटित परामर्शदात्री परिषद् के समक्ष उन कारणों को जिन पर आदेश दिया गया हो, तथा ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को, यदि कोई हो, राज्य सरकार की टिप्पणी के साथ और यदि ऐसा आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हो तो धारा 2 की उपधारा (4) के अधीन ऐसे अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी रखेगी ।

परामर्शदात्री परिषद् की प्रक्रिया

10—(1) परामर्शदात्री परिषद्, अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और राज्य सरकार से अथवा राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए बुलाये गये किसी व्यक्ति से अथवा सम्बन्धित व्यक्ति से ऐसी अग्रेतर सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांगने के पश्चात् और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझे अथवा यदि सम्बद्ध व्यक्ति अपनी सुनवाई कराने का इच्छुक हो तो उसकी व्यक्तिशः सुनवाई करने के पश्चात्, निरुद्ध किये जाने के दिनांक से दस सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी ।

(2) परामर्शदात्री परिषद् की रिपोर्ट में, उसके पृथक भाग में, परामर्शदात्री परिषद् की इस सम्बन्ध में राय निर्दिष्ट होगी कि सम्बद्ध व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं ।

(3) यदि परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों में मतभेद हो तो बहुसंख्यक सदस्यों की राय परिषद् की राय समझी जायगी ।

(4) इस धारा में कोई बात किसी उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध निरोधादेश दिया गया हो, परामर्शदात्री परिषद् को किये गये अभिदेश से सम्बन्धित किसी भी मामले में विधि व्यवसायी द्वारा

उपस्थित होने का अधिकार नहीं प्रदान करती है, तथा परामर्शदात्री परिषद् की कार्यवाहियों तथा उसकी रिपोर्ट, सिवाय रिपोर्ट के उस भाग के जिसमें परामर्शदात्री परिषद् का मत निर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी।

परामर्शदात्री परिषद् की रिपोर्ट पर कार्यवाही

11—(1) यदि किसी मामले में परामर्शदात्री परिषद् ने यह रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है तो राज्य सरकार ऐसे निरोधादेश की पुष्टि कर सकती है, और संबद्ध व्यक्ति की निरुद्धि को ऐसी अवधि के लिए जारी रख सकती है, जिसे वह उचित समझे।

(2) यदि किसी मामले में परामर्शदात्री परिषद् ने यह रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण नहीं है तो राज्य सरकार निरोधादेश को विखंडित कर देगी तथा उक्त व्यक्ति को तत्काल मुक्त करायेगी।

निरुद्ध करने की अधिकतम अवधि

12—धारा 11 के अधीन पुष्टीकृत किसी भी निरोधादेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकने की अधिकतम अवधि निरुद्ध करने के दिनांक से एक वर्ष होगी।

निरोधादेशों का विखंडन

13—(1) यूनाइटेड प्राविन्सेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 21 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी निरोधादेश राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय विखंडित या परिष्कृत किया जा सकता है, भले ही ऐसा आदेश धारा 2 की उपधारा (3) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा क्यों न दिया गया हो।

(2) किसी निरोधादेश के विखंडन, समाप्ति या अकृतता के न्याय निर्णयन से उसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे मामले में धारा 2 के अधीन कोई नया निरोधादेश दिये जाने में बाधा न पड़ेगी जिसमें उक्त विखंडन, समाप्ति या न्याय निर्णयन के दिनांक के पश्चात् ऐसे नये तथ्य उत्पन्न हुये हों जिन पर, यथास्थिति, राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपर्युक्त आदेश दिया जाना चाहिए:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई भी बात राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी को उन कारणों पर जिनके आधार पर आदेश विखंडित, समाप्ति या अकृत न्याय निर्णीत हुआ था, नवीन तथ्यों के साथ, नया निरोधादेश जारी करते समय विचार करने से नहीं रोकेगी।

निरुद्ध व्यक्तियों को अस्थायी रूप से मुक्त करना

14—(1) राज्य सरकार किसी भी समय यह निदेश दे सकती है कि निरोधादेश के अनुसरण में निरुद्ध किये गये किसी व्यक्ति को, किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये, या तो बिना शर्त या निदेश में निर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर जो उस व्यक्ति को स्वीकार हों, मुक्त कर दिया जाय, और किसी भी समय उसे मुक्त करने के आदेश को रद्द कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को मुक्त करने के निदेश में, उससे निदेश में निर्दिष्ट शर्तों का सम्यक पालन करने के लिये प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित कोई बन्ध-पत्र लिखने की अपेक्षा कर सकती है।

(3) उपधारा (1) के अधीन मुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उस आदेश में जिसमें, यथास्थिति, उसे मुक्त करने या उसकी मुक्ति को रद्द करने का निदेश हो, निर्दिष्ट समय और स्थान पर तथा प्राधिकारी के समक्ष अपने को अध्यर्पित करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण से, उपधारा (3) में निर्दिष्ट रीति से अपने को अध्यर्पित न करे तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड, जो दो वर्ष तक हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड, या दोनों ही दंड दिये जायेंगे।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन मुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उक्त उपधारा के अधीन उस पर आरोपित या उसके द्वारा लिखे गये बन्ध-पत्र की किन्हीं भी शर्तों को पूरा न करे तो बन्ध पत्र को समपृहृत हुआ घोषित किया जायेगा और उससे आबद्ध व्यक्ति को उसके लिये शास्ति देनी होगी।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्य का संरक्षण

15—इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 350 जनरल (लेग)—1971—1,830 (मे०)

No. 2774(2)/XVII-V—1—1(Ka)-7-82
Dated Lucknow, September 20, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rashtra Virodhi Tatwa Niwaran (Nirasan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 9, 1982.

THE UTTAR PRADESH RASHTRA VIRODHI TATWA NIWARAN (NIRSAN) ACT, 1982

[U. P. Act no. 24 of 1982]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Rashtra Virodhi Tatwa Niwaran Adhiniyam, 1970.

It is hereby enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Rashtra Virodhi Tatwa Niwaran (Nirsan) Adhiniyam, 1982.

Repeal of U. P. Act no. 5 of 1971

2. On and from the commencement of this Act, the Uttar Pradesh Rashtra Virodhi Tatwa Niwaran Adhiniyam, 1970, shall stand repealed.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

बी०एस०यू०पी०—ए०पी० 124 मा० (विधा०)—21-9-82—(1906)—1982—650 (मैके०)।